न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-28 / 2005

CMS NO:- 2005/00003

दायर दिनांक: 15.06.2005

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. किसकन्दा बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. फुलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मोडी बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. द्रोपदी बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. हेमलता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

– वादीगण

बनाम

1. केवल सिंह पुत्र संतराम जाति जाट सिक्ख निवासी भंवरखोल उर्फ अर्जुनपुरा पोस्ट तलवास तहसील नैनवॉ हाल निवासी बिलासपुर जिला लुधियाना पंजाब।
2. बंशीलाल पुत्र श्रीराम जाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

2/1. अलोद बाई पत्नी बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/2 बाबूलाल पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/3. रघुवीर पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/4. बिटट्ल कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/5. कमल कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/6. महावीर कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/7. कमला बाई पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/8. बदाम बाई पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/9. चम्मू बाई पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/10. कैलाशी बाई पुत्रीबंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादीगण के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया

निर्णय दिनांक 24.08.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भंवरखोल पटवार हल्का तलवास तहसील नैंनवां में कृषि भूमि खसरा सं. 124 रकबा 08–18 बीघा एवं खसरा सं. 120 रकबा 14–03 बिघा भूमि स्थित है। जिसके पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 केवल सिंह थे। यह कि दिनांक 01.07.1980 को केवल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मुख्तियार आम कपूर सिंह आत्मज गंगासिंह जाति जाट सिक्ख निवासी भंवरखोल उर्फ अर्जुनपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी के द्वारा वादीगण 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण जी के हक में ग्राम भंवरखोल तहसील नैनवां स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 03–15 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 02–09 बीघा, खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा, में से रकबा 02–10 बीघा, खसरा संख्या 120 रकबा 14–03 बीघा में से रकबा 10–16 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

09–10 बीघा भूमि का विधीवत विक्रय पत्र निरपादित करवाकर विक्रय पत्र पर गवाहान के गवाही के हस्ताक्षर करवा कर विक्रय पत्र को नियमानुसार सब रजिस्ट्रार नैनवां के कार्यालय में प्रस्तुत कर विक्रय पत्र का पंजीयन वादी 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण जी के हक में करवा दिया था। लक्ष्मीनारायण का देहावसान हो जाने के बाद वादीगण 2 लगायत 6 के हक में दिनांक 31.01.85 को नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 6 ग्राम पंचायत तलवास द्वारा विधिवत खोला जाकर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है परन्तु खातेदार कृषक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है केवल उक्त भूमि में से मात्र खसरा संख्या 117 रकबा 03–15 बीघा एवं खसरा संख्या 118 रकबा 02–09 बीघा भूमि ही वादीगण 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण के खातेदारी में दर्ज की है। शेष भूमि में वादीगण को खातेदारी दर्ज नहीं की है। जो कि वाद का कारण है। यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विधीवत नियमानुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादीगण 2 लगायत 6 के पिताजी क्रय शुदा भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा में से रकबा 02–10 बीघा भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं करके सम्पूर्ण भूमि रकबा 08–18 बीघा ही प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अवैध एवं अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल के नाम दर्ज कर दी जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 25.05.2005 को उक्त भूमि की जमाबंदी तहसील नैनवॉ से प्राप्त करने पर हुयी। जो कि वाद का कारण है। यह कि खसरा संख्या 124 में से 2 बीघा 10 बिस्वा वादीगण 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण की रजिस्टर्ड खरीद शुदा होने एवं वादीगण के पिता के हक में नामान्तकरण खुल जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जो प्रविष्टी पूर्ण अवैध ,अनाधिकृत प्रभाव शून्य है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि ग्राम भंवरखोल पटवार हल्का तलवास तहसील नैनवां में कृषि भूमि खसरा सं. 124 रकबा 08–18 बीघा में से रकबा 02–10 बीघा एवं खसरा सं. 120 रकबा 14–03 बिघा में से रकबा 10–16 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टीयों का इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के नाम का अंकन जमाबन्दी में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावें। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, बैचान पत्र, नकल नामान्तकरण तथा शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल के अनुसार वादीगण ने जिस विक्रय पत्र को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है और उस विक्रय पत्र की निष्पादन की जो दिनांक बताई है वह विक्रयपत्र उस समय प्रभावी धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का खुला उल्लंघन होने के कारण सर्वथा प्रभाव शून्य है। वोइड दस्तावेज के आधार पर किसी भी पक्ष को कोई अधिकार नहीं मिलता। इस कारण वादीगण का संपूर्ण वाद खारिज होने योग्य है। यह कि ग्राम भंवरखोल तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा हम प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिसका अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है तथा जिस पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा खातेदारी की हैसियत से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से खरीद दिनांक 01.04.2015 से चला आ रहा है जिनके विरूद्ध वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है तथा वादीगण का वाद अवधि बाधित है। यह कि मृतक बंशीलाल के नाम हुआ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एक विधि सम्मत दस्तावेज है जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। मृतक बंशीलाल के नाम निष्पादित हुआ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करवाए बिना वादीगण का यह वाद खारिज करने योग्य है।

वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 14–03 बीघा में से रकबा 10–16 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार आसामी घोषित कर दिया गया है और राजस्व अभिलेख जमाबंदी आदि में इन्द्राज कर दिया गया हैं तथा इस भूमि के बटा नम्बर 719/120 रकबा 10–16 बीघा बनाये गये है। इसलिये वाद को आंशिक रूप से वापस लेना चाहते है। अब वादीगण केवल खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि की सीमा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

ही वाद को चलाना चाहते है। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र को 11.07.2019 को स्वीकार किया जाकर वाद को आंशिक रूप सें विड्रो करने के आदेश दिये गए।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण व वादीगण का अवलोकन किया। विवादित भूमि विधिवत् नियमानुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है जिसमें 8 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं होकर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर अवैध रूप से दर्ज कर दी गई थी। वादी खसरा संख्या 124 रकवा 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहता है। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भंवरखोल पटवार हल्का तलवास तहसील नैनवां में कृषि भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रैश में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवा को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवाँ (बून्दी)

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नैनवाँ** व इजलास श्योराम (आर.ए.एस.)

1. किसकन्दा बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मोडी बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. द्रोपदी बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. हेमलता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

– वादीगण

बनाम

1. केवल सिंह पुत्र संतराम जाति जाट सिक्ख निवासी भंवरखोल उर्फ अर्जुनपुरा पोस्ट तलवास तहसील नैनवॉ हाल निवासी बिलासपुर जिला लुधियाना पंजाब।
2. बंशीलाल पुत्र श्रीराम जाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

2/1. अलोद बाई पत्नी बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/2 बाबूलाल पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/3. रघुवीर पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/4. बिटट्ल कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/5. कमल कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/6. महावीर कुमार पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/7. कमला बाई पुत्र बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/8. बदाम बाई पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/9. चम्मू बाई पुत्री बंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2/10. कैलाशी बाई पुत्रीबंशीलालजाति बंजारा निवासी तलवास तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट

मुकदमा नं. 28 **दावा 2005** सन् ....2005....................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–.......................... .... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

ग्राम भंवरखोल पटवार हल्का तलवास तहसील नैंनवां में कृषि भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 08–18 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रैश में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवा को दिये जाते है।

....

..................................चीज ....–..................... मुबलिग ....–............................ बाबत ... .–.............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–................................ ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–.................. .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 08 सन्. 2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... [signature]

ओहद .... उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–		–	–

मुहर

दस्तखत .... [signature]

ओहद .... उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ (बून्दी)